

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/622

24/10/2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/ सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी) 2023 के पैरा 4.84(बी) में संशोधन - निर्यात दायित्व अवधि में संशोधन

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने **23 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक सूचना संख्या 28/2025-2026** जारी की है, जिसमें प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी) 2023 के पैरा **4.84(बी)** में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया गया है।

संशोधन सारांश:

- निर्यात दायित्व (ईओ) को प्राधिकरण के अधीन प्रत्येक खेप के आयात की तिथि से 120 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।
- हालाँकि, सोने, प्लेटिनम और चांदी से बने आभूषणों, माउंटिंग और आभूषणों के निर्यात के लिए, ईओ अवधि आयात की तिथि से 180 दिन होगी।
- ईओ अवधि में आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

तदनुसार, उपर्युक्त बहुमूल्य धातु वस्तुओं और आभूषण निर्यात को छोड़कर, सभी उत्पादों के लिए निर्यात प्रतिबंध अवधि 120 दिन है, जिनके लिए 180 दिनों की अनुमति है।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे संशोधित समय-सीमा पर ध्यान दें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

संदर्भ के लिए, कृपया डीजीएफटी **सार्वजनिक सूचना संख्या 28/2025-2026** यहाँ से डाउनलोड करें।

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20251024030339.pdf

सादर,

भारती परावे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकौन्सिल